

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि वाग वहार की नीलामी हेतु पूर्व में कई तिथियां नियत की गई थी जिसमें कोई बोलीदार नीलाम लेने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 दिनांक 31-3-2020 तक के लिये कलेक्ट्रेट परिसर की वाग वहार का सार्वजनिक नीलाम हेतु अग्रिम तिथि 31-01-2020 नियत की जाती है। अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख वाग वहार का नीलाम दिनांक 31-01-2020 दोपहर 3.00 बजे को किया जायेगा। नीलाम की शर्तें निम्नवत हैं।

बोली बोलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व दिनांक 31-01-2020 को पूर्वान्ह 12-00 बजे तक जमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा नीलाम की शर्तों को पूर्ण करना होगा।

- 1- जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र (2वर्ष के लिये) जिसकी अवधि नीलाम तिथि को वैध हो, दाखिल करना होगा।
- 3- बोलीदाता को वाग वहार की नीलामी में सम्मिलित होने हेतु रुपये 5,000/- की धनराशि जमानत के रूप में एफ0डी0आर0/बैंकर्स चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारत के पक्ष में जमा करनी होगी।
- 4- बोलीदाता को नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5- नीलाम स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी रामपुर का होगा। नीलाम की धनराशि का 2.44 प्रतिशत आयकर एवं 4 प्रतिशत व्यापार कर एवं 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क नीलाम स्वीकृति पर नीलाम राशि के अतिरिक्त तत्काल जमा करना होगा।
- 6- बोली छुटने के पश्चात सर्वाधिक बोलीदाता को 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलाम स्वीकृति के उपरान्त जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7- नीलाम की शेष धनराशि नियत अवधि में एक मुश्त जमा न करने पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि व 1/4 धनराशि जब्त करते हुये ठेका निरस्त करते हुये पुनः नीलाम कर दिया जायेगा और ठेकेदार से बकाया की वसूली भूराजस्व मालगुजारी के रूप में वसूल की जायेगी।
- 8- नीलाम स्वीकृति के उपरान्त अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
- 9- अन्य शर्तें नीलामी के समय कार्यालय से ज्ञात की जा सकती हैं।

दिनांक :- 21-01-2020

नगर मजिस्ट्रेट/प्र0अ0 नजारत
कृते जिलाधिकारी, रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर

संख्या /35 /नाजिर सदर

दिनांक 21-01-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस नीलामी सूचना का हिन्दी/उर्दू के एक-एक दैनिक समाचार पत्रों में एक दिवस कराकर समाचार पत्र की एक-एक प्रति इस कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- जिला सूचना अधिकारी रामपुर को दो दैनिक समाचार पत्र में सशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीलाम का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु जनपद की वेबसाइट पर डलवाना सुनिश्चित करें।
- समस्त तहसीलदार जनपद रामपुर को तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- जिला पंचायत/ जिला विकास अधिकारी रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- केन्द्रीय नाजिर मा0 जिला जजी रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- ओ0एस0डी0 शिविर कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर मजिस्ट्रेट/प्र0अ0 नजारत
कृते जिलाधिकारी, रामपुर।